रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1990/अग्रहायण 1, 1912
No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1990/AGRAHAYANA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1990

सं. 8/1/90-डब्ल्यू टी. :—भारत सरकार के ऊन और ऊनी वस्त्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने तथा अगले दस वर्ष की अवधि (1991—2000) के दौरान इस क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम का सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का निर्णय लिया है।

2. इस अध्ययन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

अध्यक्ष :

1. संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय (ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रभारी)

सदस्य :

2. पशु पालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय।

3. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।

4. अपर वस्त्र आयुक्त (तकनीकी), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई।

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक एक-एक प्रतिनिधि :—

(क) विकास आयुक्त (हथकरघा)

(ख) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

(ग) खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग।

6. सचिव, पशु-पालन, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।

7. सचिव, पशु-पालन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

8. निम्नलिखित राज्य सरकारों के उद्योग/लघु उद्योग निदेशक : —

(क) पंजाब

(ख) हरियाणा

(ग) महाराष्ट्र

9. निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान।

10. सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ।

11. नाबार्ड का एक प्रतिनिधि ।

12. अध्यक्ष, भारतीय ऊनी वस्त्र मिल परिसंघ, बम्बई ।

13. निदेशक, ऊन अनुसंधान संघ, थाणे, बम्बई ।

14. डा. के. वी. अय्यर, कार्यकारी निदेशक, रेमण्ड वूलन मिल्स लि., थाणे ।

15. अध्यक्ष, हौजरी निर्यातक संघ, लुधियाना ।

सदस्य-सचिव

16. सचिव, ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान) ।

3. अध्ययन दल किसी भी ऐसे अन्य सदस्य (सदस्यों) को सहयोगी सदस्य बना सकता है जिसकी विशिष्ट सलाह अपेक्षित हो ।

4. अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : —

(क) देश में कच्ची ऊन के उत्पादन की समीक्षा करना तथा मात्रा तथा गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिए सुझाव देना ।

(ख) देश में कच्ची ऊन के सौदा बाजार का अध्ययन करना तथा ऊन उत्पादकों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना ।

(ग) उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा शुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टि से आयात नीति की समीक्षा करना ।

(घ) ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय विकास का अध्ययन करना तथा इसका आधुनिकीकरण करने और अनुसंधान व विकास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाना ।

(ङ) ऊन तथा ऊनी उत्पादों के विविध प्रयोग के उपाय सुझाना तथा देशी और विदेशी बाजारों का विकास करना ।

(च) ऊनी वस्त्र एककों की रुग्णता तथा क्षमता उपयोग की समस्या का अध्ययन करना तथा उसके निवारण के लिए उपचारी उपाय सुझाना ।

(छ) ऊन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा ऊनी वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने की व्यापक कार्य योजना बनाना ताकि अगले दस वर्षों की अवधि अर्थात् 1991—2000 में निर्यात में वृद्धि की जा सके ।

5. अध्ययन दल के लिए सचिवालय संबंधी सहायता ऊन विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन भी ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा ही किया जाएगा ।

6. यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता यदि कोई हो तो उसके व्यय का वहन सरकारी अधिकारियों के मामलों में संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा, जबकि गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-6(26)/स्था.-4/59 के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

7. अध्ययन दल चार महीनों की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च, 1991 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी. आर. कौशिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd November, 1990

No. 8/1/90-WT.—The Government of India have decided to constitute a study group to study the problems of wool and woollen industry and to suggest programme for development of this sector during the next ten years period (1991—2000) :

2. The Study Group will consist of the following :—

Chairman

1. Joint Secretary, Ministry of Textiles (Incharge of Woollen Textile Industry).

Members

2. Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture.

3. Agriculture Marketing Advisor, Ministry of Rural Development.

4. Additional Textile Commissioner (Technical), Office of the Textile Commissioner, Bombay.

5. One representative each of :—

(a) Development Commissioner (Handlooms).

(b) Development Commissioner (Handicrafts).

(c) Khadi & Village Industries Commission.

6. Secretary, Animal Husbandry, Government of Karnataka, Bangalore.

7. Secretary, Animal Husbandry, Government of Rajasthan, Jaipur.

8. Directors of Industries/Small Scale Industries from the State Governments of —

(a) Punjab.

(b) Haryana.

(c) Maharashtra.

9. Director, Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar, Rajasthan.

10. Secretary, Wool & Woollen Export Promotion Council, New Delhi.

11. A representative of NABARD.

12. Chairman, Indian Woollen Mills, Federation, Bombay.

13. Director, Wool Research Association, Thane, Bombay.

14. Dr. K. V. Iyer, Executive Director. Raymonds Woollen Mills Ltd., Thane.

15. President, Hosiery Exporters Association, Ludhiana.

Member-Secretary

16. Secretary, Wool Development Board, Jodhpur, Rajasthan.

3. The study group may co-opt any other member(s) whose expert advise is required.

4. The term of reference of the Study Group will be :—

(a) To review raw wool production in the country and suggest measures for qualitative and quantitative improvement.

(b) To study the present market of raw wool in country and suggest measures for ensuring remunerative prices to wool growers.

(c) To study the raw material requirements of the industry and review the import policy with the view to rationalise the duty structure.

(d) To study the technological development of the woollen industry and to suggest measures for its modernisation and strengthening of R&D facilities.

(e) To suggest measures to diversify use of wool and woollen products and development of home and overseas markets.

(f) To study the problem of sickness of the woollen units and capacity utilisation and to suggest remedial measures for solution thereof.

(g) To draw a comprehensive action plan to boost the indigenous production of wool and to modernise the woollen industry with a view to increasing exports in the next ten years period 1991—2000.

5. The secretariat assistance in connection with the study group will be provided by the Wool Development Board and expenditure will also be borne by the Wool Development Board, Jodhpur.

6. The expenses on TA and DA if any, will be borne by the respective departments in respect of Government officials, whereas non-officials will be entitled to claim TA & DA as per O.M. No. F. 6 (26)-E.IV/59, dated 5th September, 1960, of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), as amended from time to time.

7. The Study Group shall submit its report to the government within a period of four months i.e. by the end of March, 1991.

ORDER

Ordered that a copy of Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. KAUSHIK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990